भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2170

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

अमेरिकी टैरिफ का एमएसएमई पर प्रभाव

2170. श्री अरुण नेहरूः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर हाल के अमेरिकी शुल्कों के, विशेषकर कपड़ा, ऑटो घटकों, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में, प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो घरेलू उत्पादन, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कम निर्यात के प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शुल्कों से प्रभावित तमिलनाडु की एमएसएमई की संख्या कितनी है;

(घ) क्या प्रभावित एमएसएमई की सहायता के लिए राजसहायता, कम ब्याज वाले ऋण या छूट, बाजार विविधीकरण के लिए समर्थन सहित विशिष्ट राहत उपाय लागू किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनके परिणाम क्या रहे हैं और एमएसएमई को शुल्क-संबंधी चुनौतियों से बचाने के लिए भविष्य की योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : भारत का एमएसएमई निर्यात अप्रैल - नवम्बर, 2024 में 11.31 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अप्रैल - नवम्बर, 2025 में 12.81 लाख करोड़ रुपए हो गया जो 13.26% की वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, एमएसएमई के निर्यात विकास में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, वस्त्र और परिधान, फार्मास्युटिकल्स और इंजीनियरिंग सामग्री हैं।

सरकार एक व्यापक बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी प्रशुल्क संबंधी उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। इसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन विचार-विमर्श, भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापार में राहत संबंधी उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, निर्यात संवर्धन उपायों जैसे नया निर्यात संवर्धन मिशन, जो हमारे निर्यातकों को समर्थन और सहायता प्रदान करता है, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करना, मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते का बेहतर उपयोग करना शामिल है। आशा है कि इन उपायों से भारत के व्यापार संबंधों में विविधता और लचीलापन बढ़ेगा। सरकार अमेरिकी प्रशुल्क संबंधी उपायों के उभरते प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), एमएसएमई, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई (निर्यातकों सहित) तक ऋण प्रभाव में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विनियम शामिल हैं जिनमें (i) 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना, (ii) इस प्रकार के ऋण के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं में शिथिलता को अनुमति प्रदान करना, (iii) बाहरी बेंचमार्कों से जोड़कर ब्याज दरों में पारदर्शिता लाना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 14.11.2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (व्यापार राहत उपाय), 2025 जारी किया था जिसमें निर्यातकों को ब्याज और मूलधन की किश्तों के पुनर्भुगतान में आस्थगन, निर्यात आय प्राप्ति अवधि का विस्तार, पैकिंग क्रेडिट लिक्वीडेशन में लचीलापन आदि सहित विभिन्न प्रकार की राहत प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई की मजबूती और उसके विकास को नई गति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं :-

(i) कोलेटरल सिक्यूरिटी अथवा तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना एमएसई को दिए गए ऋण पर 10 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस)।

(ii) विकास करने और बड़ी इकाइयों के रूप में परिणत होने की संभावना और व्यवहार्यता वाले एमएसएमई में इक्विटी निधियन के रूप में 50,000 करोड़ रुपए की राशि समाविष्ट करने हेतु आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 50,000 करोड़ रुपए के कोष के लिए भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और प्राइवेट इक्विटी और वेंचर पूंजीगत निधियों के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की सुयोग्य और पात्र इकाइयों को विकासशील पूंजी उपलब्ध करना है। बजट 2026-27 में सूक्ष्म उद्यमों को लगातार सहायता प्रदान करने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच को बनाए रखने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष को संपोषित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की गई है।

(iii) एमएसएमई के लिए मिच्युअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (एमसीजीएस-एमएसएमई) सरकार की मदद से शुरू की गई एक पहल है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करने में मदद करने हेतु बनाया गया है। यह स्कीम क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है जिससे एमएसएमई को खासकर जरूरी उपस्करों और मशीनरी के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह स्कीम ऋणप्रदाताओं (अनसूचित वाणिज्यिक वैंकों, आखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी) द्वारा एमएसएमई को उपस्करों/मशीनरी की खरीद वाली परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करती है।

(iv) संघीय बजट संबंधी घोषणा 2024-25 के उपरांत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सिडबी द्वारा एमएसएमई कलस्टरों तक अपनी पहुंच को बढ़ाने तथा उन्हें सीधे ऋण प्रदान करने के लिए देशभर में छब्बीस (26) शाखाएं खोली गई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 37 शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है जिनमें से अब तक 34 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी अपनी पहुंच का विस्तार करने तथा दिनांक 31.03.2027 तक सभी प्रमुख एमएसएमई कलस्टरों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नई शाखाएं खोलना जारी रखेगा।

(v) भारत सरकार ने पात्र ऋणप्राप्तकर्ताओं विशेषकर एमएसएमई को मौजूदा कार्यशील पूंजीगत सीमाओं की 20 प्रतिशत अतिरिक्त क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 12.11.2025 को निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई) को अनुमोदन प्रदान किया है। सीजीएसई के अंतर्गत कोलेटरल मुक्त क्रेडिट तक पहुंच सुनिश्चित करके इस स्कीम से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए और उभरते बाजारों के निर्माण में सहायता प्रदान करने की आशा है। इस सुविधा को दिनांक 25.11.2025 को आखिल भारतीय आधार पर कार्यशील बनाया गया है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खातों में उभरे दबाव का समाधान करने के लिए एक सरल और त्वरित कार्यतंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17 मार्च, 2016 के परिपत्र के तहत पुनरुद्धार और पुर्नवास संबंधी रूपरेखा (एफआरआर) स्थापित किया है ताकि एमएसएमई इकाइयों को 25 करोड़ रुपए की सीमा तक ऋण प्रदान किया जा सके।

एफआरआर दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक आरंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर एमएसएमई खातों में शुरुआती दबाव की पहचान करेंगे। खाते का रखरखाव करने वाली शाखा 10 लाख रुपए से अधिक की कुल ऋण सीमाओं वाले दबावयुक्त खातों को एक समिति को अग्रेषित करने पर विचार करेगी जबकि 10 लाख रुपए तक की ऋण सीमा वाले खातों की सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के लिए शाखा स्तर पर की जाएगी। सीएपी के अंतर्गत किए जाने वाले समाधान में सुधार, पुर्नसंरचना और वसूली शामिल हो सकते हैं।

(vii) समग्र निर्यात इको सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक समग्र रूपरेखा के रूप में दिनांक 12.11.2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ईपीएम के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन के जरिए सहायता प्रदान की जाएगी जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए ब्याज सब्वेंशन, फैक्टरिंग, ई-कॉमर्स क्रेडिट कार्ड, निर्यात क्रेडिट के लिए कोलेटरल हेतु सहायता सहित व्यापार वित्त संबंधी सुविधा प्रदान करने पर विशेष ध्यान प्रदान करती है तथा निर्यात दिशा, जो निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, बाजार तक पहुंच संबंधी इन्टरवेंशनों, लॉजिस्टिक्स सुविधा तथा निर्यात ईको सिस्टम निर्माण संबंधी उपायों सहित गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

(viii) सरकार द्वारा जीएसटी युक्तिकरण से एमएसएमई प्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ हुए हैं जिससे ऑटोमोबाइल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और हस्तशिल्प जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुई है। जीएसटी की कम दरों के कारण कच्चा माल और सेवाएं ज्यादा वहनीय हो सकी हैं, जिससे लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को अपने कार्यकलापों को आगे बढ़ाने, नवोन्मेष संबंधी कार्यों में निवेश करने तथा घरेलू और वैश्विक दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

******